Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण

किस्म मुकदमा :– राजस्व प्रार्थना पत्र — संख्या :– 94 /2020

अनवान तहसीलदार बनाम गौरकी वगैराह।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
06.02.2020	तहसीलदार उपस्थित। प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 LR Act, 1956 के तहत् पेश किया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा–लौटोती, पटवार हल्का लौटोती, तहसील–जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 100/8, 100/3, 100/18, 100/20, 100/15 जमाबन्दी सेग्रीगेशन कार्य को पूर्ण करने एवं नक्शे में दर्ज खसरा नम्बरों का वन टू वन मिलान के मध्य जिन खसरो मे रिकार्ड मौका तथा नक्शे में भिन्नता आ रही हैं यथा खातेदारों के अलग अलग खसरों नम्बरों की सीमाओं में अन्तर हैं तथा नक्शा अनुरूप खसरों का रकबा मिलान नही होता हैं। ऐसे खसरा नम्बरों के नक्शे की सीमाओं में दुरूस्ती प्रस्ताव निम्नानुसार सेवा में पेश हैं। ग्राम लौटोती पटवार हल्का लौटोती तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) के खसरा नम्बर 100/8 रकबा 12–10 बीघा, खसरा नम्बर 100/3 रकबा 0–10 बीघा, खसरा नम्बर 100/18 रकबा 6–00 बीघा, खसरा नम्बर 100/20 रकबा 12–10 बीघा, खसरा नम्बर 100/15 रकबा 6–00 बीघा। खातेदारान् का आवेदन मय रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि पेश कर निवेदन हैं कि निम्नानुसार रिकार्ड दुरस्ती का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। प्रस्तुत प्रा. पत्र एवं मय रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पटवारी हल्का लौटोती ने अपनी जांच रिपोर्ट में निवेदन किया कि मौजा–लौटोती में स्थित भूमि खसरा नम्बर 100/8, 100/3, 100/18, 100/20, 100/15 कुल रकबा 37–10 बीघा भूमि के रूप में खातेदार के नाम वर्तमान जमाबंदी में इन्द्राज हैं। राजस्व रेकर्ड अनुसार मौका स्थिति में भिन्नता हैं। उक्त भिन्नता को दूर करने के लिए इन पांचों खसरों का मूल खसरा नम्बर 100/3 में विलय करना उचित बताया, उक्त विलय के लिए सभी खसरों के खातेदारों ने अपनी सहमति दी हैं। तदनुसार पटवारी हल्का लौटोती भू.अ.निरीक्षक निम्बोल एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्ताव तैयार कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 एवं 131 के तहत् दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया। तथा यह भी आग्रह किया गया कि उक्तानुसार दुरूस्ती से DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के कार्य निष्पादन में भी सुविधा होगी। प्रार्थी तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेज तथा पटवारी रिपोर्ट व भू.अ.निरीक्षक की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तथा संबंधित खसरों के खातेदारों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/सहमति पत्र पर भी गौर किया गया तो पाया कि तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार खसरा विलयकरण की शुद्धि करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी तहसीलदार का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। मौजा–लौटोती पटवार हल्का लौटोती तहसील जैतारण में स्थित भूमि ख.नं. 100/8, 100/3, 100/18, 100/20, 100/15 जमाबन्दी में खातेदारान् के नाम दर्ज हैं। पटवारी हल्का–लौटोती, भू.अ.निरीक्षक निम्बोल एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं रिकॉर्ड की सत्यप्रतिलिपि अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जिसे प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार विलय कर मूल खरा नम्बर 100/3 कुल रकबा 37–10 बीघा का इन्द्राज दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं। खातेदारों के नाम, हक हिस्सा एवं रहन की प्रविष्टियां बदस्तूर जारी रहेगी, तथा कोई भी खातेदार इस बाबत् किसी भी समय संबंधित सक्षम न्यायालय से अगर उचित समझे तो अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। पृथक से आदेश जारी हो जो पत्रावली का भाग होगा, आदेश एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जो इस निर्णय का भाग होगा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील ज़ाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण	169 12/2/20

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली)

क्रमांक/कोर्ट/2020/ दिनांक :–.............

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या..24........./2020 निर्णय दिनांकः–06/02/2020

अनवान तहसीलदार बनाम गौरकी वगैराह

आदेश

(अंतर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956)

प्रार्थी तहसीलदार जैतारण के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल–**लौटोती** व भू.अ. निरीक्षक–**निम्बोल** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार जैतारण की अनुशंषा, खातेदारान् की प्रार्थना के आधार पर तहसील क्षैत्र जैतारण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार भू–अभिलेखों की डिजिटाईजेशन हेतु संचालित DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के अंतर्गत जमाबंदी, नक्शा एवं मौका स्थिति की अनुरूपता के लिए मौका एवं नक्शा की स्थिति में भिन्नता के फलस्वरूप तरमीम कार्य में उत्पन्न अवरोध के निराकरण हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं 131 के अनुसरण में ग्राम–**लौटोती**, तहसील–जैतारण, जिला–पाली की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 में निम्नलिखित खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खातेदारान् के नाम, हक हिस्सा एवं रहन की प्रविष्टियां, कुल रकबा एवं भूमि की किस्म अप्रभावित रहते हुए बदस्तूर जारी रहेगी। कोई भी खातेदार किसी भी समय अगर आवश्यक समझे तो संबंधित सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के तहत् सूक्ष्म खसरों / इन्द्राज का समामेलन करना									
नाम ग्राम–लौटोती पटवार मण्डल – लौटोती, भू.अ.नि. – निम्बोल तहसील–जैतारण, जिला–पाली									
वर्तमान खाते का विवरण					शुद्धि की प्रविष्टि				
खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार का विवरण	खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार का विवरण
125	100/8	12-10	बा.दो.	गौरकी पत्नी बचनाराम कौम मेघवाल सा.देह खातेदार। रहन बी.ओ.बी. शाखा–जैतारण।		100/3	37-10	बा.दो.	बचनाराम पुत्र कालुराम हिस्सा 13/75, गौरकी पत्नी बचनाराम हिस्सा 1/3, राजीवकुमार घनश्याम पि. मालाराम हिस्सा 4/25, बिदामीदेवी पत्नी मालाराम हिस्सा 1/3 कौम मेघवाल सा.देह खातेदार। रहन बचनाराम व गौरकी का हिस्सा बी.ओ.बी. शाखा जैतारण, राजीवकुमार घनश्याम व बिदामीदेवी का हिस्सा एम.जी.बी.जी.बी. शाखा निम्बोल।
463	100/3 100/18	0-10 6-00	बा.दो. बा.दो.	बचनाराम पुत्र कालुराम कौम भांबी सा.देह खातेदार। रहन बी.ओ.बी. शाखा–जैतारण।					
योग	2	6-10	बा.दो.						
499	100/20	12-10	बा.दो.	बिदामीदेवी पत्नी मालाराम कौम मेघवाल सा.देह खातेदार। रहन एम.जी.बी.जी.बी. शाखा निम्बोल।					
681	100/15	6-00	बा.दो.	राजीव कुमार घनश्याम पि. मालाराम कौम भांबी सा.देह खातेदार। रहन एम.जी.बी.जी.बी. शाखा निम्बोल।					
योग	5	37-10	बा.दो.		योग	1	37-10	बा.दो.	

नोट :– खसरा नम्बर 100 के उक्त बट्टा नम्बरों का मौके पर उक्त बट्टा नम्बर अनुसार विभाजन नहीं होने से उक्त बट्टा नम्बरों को एक खसरा नम्बर में मर्ज किये जाने का आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.02.18 12:01:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: